महत्वपूर्ण

संख्या-07/2020/663/86-2020-55/08

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2020

विषयः-भवन/विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में खुदाई के दौरान प्राप्त उपखनिजों के निस्तारण हेतु अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जाना।

महोदय,

प्रदेश में उपखनिजों के परिहार की व्यवस्था हेतु खनन नीति, 2017 प्रभावी है। उक्त नीति के अंतर्गत वर्तमान में नदी तल में उपलब्ध उपखनिजों एवं ईमारती पत्थर के खनन क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से परिहार पर व्यवस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उपखनिजों के नियमित खनन संक्रियाओं के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भवनों के निर्माण तथा विकास परियोजनाओं की स्थापना/निर्माण के दौरान खुदाई से प्राप्त होने वाले उपखनिजों का ई- निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से निस्तारण किया जाना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है। अतः उक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 में अधिसूचना सं0-560/86-2020-55/08 दिनांक 18.03.2020 द्वारा उन्चासवें संशोधन के माध्यम से नया नियम-52ख बढ़ाया गया है, जो निम्नवत् हैः-

"52ख - भवन/विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्राप्त उपखनिज के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया-

(1) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी भवन या किसी विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया मे पाया गया कोई खनिज ऐसी परियोजना के निष्पादन की प्रक्रिया में निकाला जाना हो, वहां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के आधार पर उसका निस्तारण या उपभोग किया जायेगा।

(2) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा स्थलीय निरीक्षण और उपलब्ध खनिज की मात्रा का निर्धारण करने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट एक माह के भीतर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(3) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 की अनुसूची-एक में यथा विहित प्रयोज्य रॉयल्टी के भुगतान के आधार पर उक्त अनुज्ञा पत्र प्रदान किया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि गैर वाणिज्यिक निजी आवासीय भवन उक्त से छूट प्राप्त होंगे।

अग्रतर प्रतिबन्ध है कि यदि उक्त अवधि के भीतर आवेदन का निस्तारण नही किया जाता है तो निर्धारित मात्रा की रायल्टी की धनराशि के भुगतान पर अनुज्ञा पत्र जारी किया गया समझा जायेगा।"

2. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यावसायिक भवनों/विकास परियोजनाओं के निर्माण/स्थापना कार्य के दौरान खुदाई से प्राप्त उपखनिजों के निस्तारण के लिये अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया सम्बन्धी पूर्व निर्गत समस्त संगत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए उक्त नियम-52ख के अंतर्गत अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

i विकास परियोजनाओं एवं ऐसे व्यावसायिक भवन जिनके बेसमेन्ट का क्षेत्रफल 200 वर्ग मी0 से अधिक हो, के परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 (यथा संशोधित) के नियम-52क के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क के चालान एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ चरित्र/निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

ii आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में जनपद में तैनात भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा भवन/विकास परियोजना क्षेत्र के अनुमोदित मानचित्र के आधार पर निर्माण कार्य के दौरान प्राप्त होने वाले उपखनिज की मात्रा एवं उस पर देय स्वामित्व का निर्धारण किया जायेगा।

iii भवन/विकास परियोजना के निर्माण के दौरान प्राप्त होने वाले उपखनिजों की मात्रा का निर्धारण हो जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उक्त नियम 52ख के अन्तर्गत परियोजना प्रस्तावक/आवेदक के पक्ष में अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जायेगा।

iv अनुज्ञा पत्र स्वीकृत होने की दशा में परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा उपखनिजों की मूल्यांकित मात्रा पर देय स्वामित्व की धनराशि खनिज विभाग के निर्धारित लेखाषीर्षक में चालान के माध्यम से जमा करते हुए चालान की मूल प्रति जिला खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके आधार पर परियोजना प्रस्तावक/आवेदक के पक्ष में अनुज्ञा पत्र नियत अवधि में निर्गत किया जायेगा।

v पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचना/दिशा-निदेशों का पालन परियोजना प्रस्तावक/आवेदक द्वारा किया जायेगा।

3. अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या : 663(1)/86-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ।
3. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आत्मा राम)
विशेष सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in